

//आदेश॥

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-226/11-4-2025/1807914 दिनांक 25-04-2025 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में सूची में अंकित प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु प्रकरण जोन स्तर से मुख्यालय प्रेषित किये गये हैं। प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित दावेदारों को भुगतान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

प्रश्नगत व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-07-30प्र0पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना की मानक मद-42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

क्र० सं०	जोन का नाम	मृतक व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	आनलाइन माध्यम से दावा दायर करने का दिनांक	दावेदार का नाम	देय धनराशि
1	Ayodhya	स्व० श्री सोनू चौहान	सर्वश्री मॉ शारदा इण्टरप्राइजेज, सुलतानपुर	22-01-2025	श्री राम मिलन, पिता	10.00 लाख
2	Ayodhya	स्व० श्री विवेक चन्द्र शुक्ला	सर्वश्री शुक्ला मेडिसिन स्टोर, गोरखपुर	25-01-2025	श्रीमती अष्टमुजी शुक्ला, पत्नी	10.00 लाख
3	Lucknow	स्व० श्री दिलीप गुप्ता	सर्वश्री अम्बे बालाजी एण्ड कम्पनी, लखनऊ	07-02-2025	श्रीमती किरन गुप्ता, पत्नी	10.00 लाख
4	Ayodhya	स्व० श्री बसन्त लाल	सर्वश्री आशुतोष इन्टरप्राइजेज, बाराबंकी	07-02-2025	श्रीमती मंजू देवी, पत्नी	10.00 लाख
5	Lucknow	स्व० श्री रामेन्द्र गुप्ता	सर्वश्री जय मॉ शारदा कम्प्यूटर्स एण्ड प्रिंटेर्स, हरदोई	14-02-2025	श्रीमती गोदावरी गुप्ता, पत्नी	10.00 लाख
6	Varanasi	स्व० श्री दयाशंकर	सर्वश्री दयाशंकर गारमेन्ट्स, जौनपुर	03-04-2025	श्रीमती सीता, पत्नी	10.00 लाख
7	Bareilly	स्व० श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	सर्वश्री प्रमोद कुमार गुप्ता, ठेकेदार, शाहजहाँपुर	29-04-2025	श्रीमती तारा गुप्ता, पत्नी	10.00 लाख
8	Ayodhya	स्व० श्री अवनीश कुमार श्रीवास्तव	सर्वश्री श्रीराम इण्टरप्राइजेज, अयोध्या	09-05-2025	श्रीमती रेखा श्रीवास्तव, माता	10.00 लाख
9	Prayagraj	स्व० श्री उग्रसेन गुप्ता	सर्वश्री केशव प्रसाद बर्तन वाले, फतेहपुर	05-06-2025	श्रीमती शशि देवी, पत्नी	10.00 लाख
10	Ayodhya	स्व० श्री रविशंकर	सर्वश्री ईरा कान्सट्रक्शन इन्फ्राटेक, बाराबंकी	23-06-2025	श्रीमती प्रभा यादव, पत्नी	10.00 लाख

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभार-अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर, बरेली, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, बरेली-बी, अयोध्या/संभाग-ए, प्रयागराज-बी, वाराणसी-सी, लखनऊ-ए को सूचनार्थ।
3. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. ☒ संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को सम्बन्धित प्रकरणों में प्राप्त बैंक डिलेट की प्रति के साथ भुगतान हेतु।
6. लेखाकार, राज्य कर, मुख्यालय।
7. बजट आवंटन पटल, राज्य कर, मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु।

प्रभार-अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।